संख्या– 619/पाँच–1–10–5(28)/07

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 17 जून, 2010

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अधीन सूचीबद्व चिकित्सालयों के स्टाफ को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या–10फ/कैम्प/रा0स्वा0बी0यो0/413, दिनांक 17.02.2010, पत्र संख्या– 10फ/कैम्प/रा0स्वा0बी0यो0/450, दिनांक 02.04.2010 एवं पत्र संख्या–निदे0/रा0का0/10/87, दिनांक 15.04.2010 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा प्रदाता कम्पनी द्वारा पात्र लाभार्थियों को भर्ती सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर अनुमन्य धनराशि इनके रोगी कल्याण समितियों के खाते में अन्तरित की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यरत सूचीबद्व चिकित्सालयों के स्टाफ द्वारा पूर्ण तत्परता एवं सेवा भावना से लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के निमित्त उक्त धनराशि का 25 प्रतिशत चिकित्सालयों के स्टाफ को स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त धनराशि से निम्नानुसार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जायेगा तथा इसी धनराशि के अन्तर्गत अन्य विविध व्यय तथा सिस्टम इम्प्रूवमेंट की भी व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से की जायेगीः–

क	वार्ड साइड	10 प्रतिशत
	1. सिस्टर	20 प्रतिशत
	2.स्टाफ नर्सेज	60 प्रतिशत
	3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(चाहे जिस पदनाम से जाने जाते हों वार्ड ब्वाय,वार्ड आया,स्वीपर,स्वीप्रेस आदि)	20 प्रतिशत
ख	डायग्नोस्टिक विंग	15 प्रतिशत
	1.एक्सरे (रेडियोलाजी विभाग)	35 प्रतिशत
	2.पैथालाजी	35 प्रतिशत
	3.रेफरेन्सेज, संदर्भन (चिकित्सालीय के विभाग, जिसमें रोगी भर्ती हों, से इतर विभागों के संदर्भन के संबंध में)	30 प्रतिशत
ग	शल्य एवं अन्य चिकित्सकीय प्रकिया के विभाग	50 प्रतिशत
	आपरेशन थियेटर,आई0सी0सी0यू0 वार्ड्स, प्रसव कक्ष आदि विभाग	
	1.मुख्य सजन/फिजीशियन	50 प्रतिशत
	2.निश्चेतक/सहायक चिकित्सक	25 प्रतिशत
	3.नर्सिग स्टाफ	15 प्रतिशत
	4.अन्य सहायक(जो उपरोक्त में शामिल न हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए)	10 प्रतिशत
घ	मिसलेनियस	10 प्रतिशत
	1.स्थानीय प्रशासन	10 प्रतिशत
	2.लेखाकार	20 प्रतिशत
	3.अभिलेखाकार	20 प्रतिशत
	4.केन्द्रीय प्रशासन	5 प्रतिशत
	5.संदर्भक फैसिलेटेटर	40 प्रतिशत
	6.अन्य (जिसे चिकित्सालय का शीर्षस्थ अधिकारी उचित समझे)	5 प्रतिशत
च	सिस्टम इम्प्रूवमेंट	15 प्रतिशत

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0

–2/

3– उपरोक्तानुसार देय प्रोत्साहन भत्ता निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा:–

(1) स्टाफ नर्सेस नर्सिग असिटेन्ट अन्य अटेन्डेंट(जिस भी नाम से जाने जाते हों) की ...वित लाभ संख्या के दृष्टिगत देय प्रोत्साहन भत्ता की गणना की जायेगी।

(2) प्रयोगशाला तकनीशियनों को तभी प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य होगा जब जांचे चिकित्सालय की प्रयोगशाला में की गई हों।

(3) एक से अधिक कर्मचारी होने पर देय प्रोत्साहन धनराशि उनमें बराबर–बराबर बॉटी जाएगी।

(4) उपरोक्त प्रोत्साहन राशि के वितरण में उत्पन्न विवाद का निराकरण चिकित्सालय के वरिष्ठतम अधिकारी की अध्यक्षता में गठित नर्सिग श्रेणी का वरिष्ठम अधिकारी व रोटेशन के आधार पर नामित किये जाने पर अन्य किसी विभाग के अधिकारी की तीन सदस्यीय द्वारा किया जायेगा।

4– प्रयोग के रूप में प्रोत्साहन के संबंध में उक्त व्यवस्था 01 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। तदुपरान्त योजना के संबंध में प्राप्त आधारभूत ऑकड़ो के आधार पर प्रगति मूल्यांकित करने के पश्चात पूर्ण कालिक रूप से लागू किया जा सकेगा।

5– उपर्युक्त प्रस्तर–2 में इंगित प्रोत्साहन धनराशि के फार्मूले के अनुसार वितरण हेतु लेखों के अनुरक्षण एवं सत्यापन की व्यवस्था के बारे में पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किए जाऐंगे।

भवदीय,

16-6-10

(प्रभात कुमार सारंगी)

सचिव।

संख्या–619 / पांच–1–2010,तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) ग्राम्य विकास अनुभाग–7

(2) डा0 अवधेश प्रसाद,नोडल आफीसर,राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,लखनऊ।

(3) प्रबन्धक,आई0सी0सी0आई0लुम्बार्ड,जी0आई0सी0लि0,लखनऊ।

(4) गार्ड फ़ाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)

अनु सचिव।

9415213778 Awadhesh Kr Rawat 2298837 A.K Rawat